

03/08/21

वकील वादी उपर नहीं। बार-बार
आवाज दिलाई गई। वकील वादी
को आन्तम आवाज साथ 5:30
बजे दिलाई गई। वकील वादी
उपस्थित नहीं। अतः वादी का
षट् अदम हाजरी व अदम
पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से कम
होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर